

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-०१, कबीरधाम

जिला - कबीरधाम (कवर्धा) छ०ग०
(पीठासीन अधिकारी-जगदीश राम)

क्र०Q / प्र०व्य०न्या०वर्ग-०१ / २०१७

कबीरधाम दिनांक-१०.०१.१८

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम
जिला कबीरधाम (छ०ग०)

विषय:- विशेष सूची तैयार किए गए प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

—००—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माह दिसम्बर, २०१७ में इस न्यायालय के समक्ष ५ एवं १० वर्षों से अधिक समय से लंबित निम्नलिखित व्यवहारवादों की विशेष सूची तैयार की गई थी जिसकी प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

विशेष सूची

| क्र० | प्रकरण का प्रकार एवं क्रमांक | पक्षकार का नाम | वादी अधिवक्ता का नाम | प्रतिवादी अधि० का नाम | संस्थित दिनांक | अगली सुनवाई तिथि | वर्तमान स्थिति |
|------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| १ | व्य० वाद क्र. १६३/१५ | सोहागा बाई विरुद्ध राजाराम वगैरह | श्री आर०एस० साहू | श्री अखिल वर्मा | ३१.०३.१५ | ११.१२.१७ | शेष वादी साक्ष्य हेतु। |
| २ | व्य.वाद क्र. १६१अ/१४ | पुरुषोत्तम सिंह वगैरह विरुद्ध पुरन सिंह वगै० | श्री शेखर बख्शी | श्रीएम०एस० परिहार, एन० आर०साहू | २९.११.१४ | १३.१२.१७ | शेष वादी साक्ष्य हेतु। |
| ३ | व्य० वाद क्र. १६३/१५ | सोहागा बाई विरुद्ध राजाराम वगैरह | श्री आर०एस० साहू | श्री अखिल वर्मा | ३१.०३.१५ | ०९.०१.१८ | शेष वादी साक्ष्य हेतु। |
| ४ | व्य.वाद क्र. १६१अ/१४ | पुरुषोत्तम सिंह वगैरह विरुद्ध पुरन सिंह वगै० | श्री शेखर बख्शी | श्रीएम०एस० परिहार, एन० आर०साहू | २९.११.१४ | ०३.०१.१८ | शेष वादी साक्ष्य हेतु। |

{ जगदीश राम }

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१
जिला-कबीरधाम(कवर्धा)छ०ग०

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-०१, कबीरधाम

जिला - कबीरधाम (कवर्धा) छ०ग०

(पीठासीन अधिकारी-जगदीश राम)

क्र०Q / प्र०व्य०न्या०वर्ग-०१ / २०१७
प्रति,

कबीरधाम दिनांक-१०.०१.१८

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जिला-कबीरधाम (छ०ग०)

विषय :- प्रकरणों की विशेष सूची तैयार किये जाने बाबत।

--००--

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष पांच एवं दस वर्षों से अधिक समय से लंबित व्यवहार वादों की विशेष सूची तैयार की गई है, जिन्हें दिन-प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य न हो जावे। इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन दिये बिना विचारण पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण सूची प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

विशेष सूची

| क्र० | प्रकरण का प्रकार एवं क्रमांक | पक्षकार का नाम | वादी अधिवक्ता का नाम | प्रतिवादी अधि० का नाम | संस्थित दिनांक | अगली सुनवाई तिथि | वर्तमान स्थिति |
|------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| १. | सिविल वाद क्र.१५अ/१४ | देवली बाई विरुद्ध गिरधारी वगैरह | श्री आदित्य झा | श्री सी० एस० ठाकुर, बी०आर० जायसवाल, | ०३.०४.१२ | २२.०१.१८ | वादी साक्ष्य हेतु |
| २. | सिविल वाद क्र.५१अ/१२ | शिवकुमारी वगैरह विरुद्ध रामसिंह वगैरह | श्री राजेश पाठक | श्री ए०के०, अशोक सोनी, दीनानाथ शर्मा | १०.०२.१२ | २९.०१.१८ | शेष वादी साक्ष्य हेतु |

(जगदीश राम)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१
जिला-कबीरधाम (छ०ग०)